राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.2(1)साप्र/2/2014 जयपुर, दिनांक 13/7/15

–: संशोधित आदेश :–

इस विभाग के आदेश दिनांक 5.1.2015 के अतिक्रमण में श्री अभिमन्यु कुमार, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता 1/2015 है तथा सेवानिवृति दिनांक 31.7.2046 है के आधार पर उनके निवास हेतु नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राजकीय आवास संख्या II/66, एवीएस, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तो के आधार पर एतदद्वारा आवंटन/संशोधन किया जाता है :–

शर्तेः–

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगीः–

   5. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   6. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

8. श्री अभिमन्यु कुमार से कॉमन सुविधा राशि रूपये 300/–(अक्षरे रूपये तीन सौ रूपए मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होगें।

8 उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्मला परचवानी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0अभि0वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध ,में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
10. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्ते संख्या–7 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
13. श्री अभिमन्यु कुमार, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
15. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
16. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.1(1)साप्र/2/2014 जयपुर, दिनांक 13/7/15

–: आदेश :–

श्री एन. रविन्द्र कुमार रेड्डी आई.पी.एस. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशासन एवं कानून व्यवस्था, राजस्थान पुलिस, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 6/2015 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.5.2020 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास संख्या I/40, गॉधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्मला परचवानी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, जयपुर।
5. श्री एन. रविन्द्र कुमार रेड्डी, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशासन एवं कानून व्यवस्था, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री कार्यालय की आईडी संख्या एफ 15002363 दिनांक 6.7.2015 के क्रम में।
8. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 343/M/GAD/2015 दिनांक 29.6.2015 के क्रम में।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभियान्त्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
14. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
15. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
17. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
18. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग को– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गॉधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव